न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/3821/2005/जोधपुर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. मोहनराम पुत्र घेवरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बडली तहसील व जिला जोधपुर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित

श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 04.01.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–06–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में एक

राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 88, 92–ए एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडली स्थित भूमि खसरा नम्बर 05बीघा रकबा 10बीघा भूमि पर वादी अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय से अर्थात काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तीन विवाद्यक विरचित किये। तत्पश्चात मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय दिनांक 20–06–2005 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–06–2005 से अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए वादी प्रत्यर्थी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहररते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का

अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया गया था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मात्र शपथपत्र के आधार पर वादी प्रत्यर्थी का विवादित आराजी पर पुराना कब्जा काश्त मान लिया जबकि वादी प्रत्यर्थी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से सर्वप्रथम सम्वत् 2023 में काबिज हुआ, जिसे नियमानुसार बेदखल किया गया। उनका कथन है कि वादी अपनी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर सम्वत् 2000 से कब्जा काश्त साबित नहीं कर पाया है, इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर वादी को सम्वत् 2000से काबिज काश्त होना मानते में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सिवाय चक दर्ज होकर राजकीय भूमि है, जिस पर वादी द्वारा नाजायज अतिक्रमी किया गया, जिसे नियमानुसार बेदखल किया गया। उनका कथन है कि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के विवादित आराजी पर वादी को पुराना कब्जा नहीं माना जा सकता है, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सम्वत् 2000 से विवादित आराजी पर वादी प्रत्यर्थी का कब्जा काश्त मानने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर वादी प्रत्यर्थी का वक्त बन्दोबस्त के पूर्व से कदीमी कब्जा काश्त बहैसियत टीनेन्स पीढी दर पीढी चला आ रहा है, जिस पर वादी काबिज काश्त है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि

कारित की। उनका कथन है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर अपना कब्जा पुराना होना साबित किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विवादित आराजी पर वादी का पुराना कब्जा काश्त होना मानते हुए अपील को स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में एक राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 88, 92–ए एवं 188 के अन्तर्गत प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडली स्थित भूमि खसरा नम्बर 05बीघा रकबा 10बीघा भूमि पर वादी अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय से अर्थात काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अर्थात् सम्वत् 2000 से काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से केवल मात्र कुछ वर्षो के लिए काबिज काश्त रहा, जिसे बेदखल किया जाता रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण वादी ने विवातिद आराजी पर पुराना

कब्जा काश्त होने के प्रमाण स्वरूप सम्वत् 2021–22 एवं उसके पश्चात् की खसरा गिरदारिया प्रस्तुत की गयी, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी का विवादित आराजी पर सम्वत् 2021 से भी कब्जा काश्त निर्बाध एवं निरन्तर नहीं रहा है। इसके साथ ही किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सम्वत् 2000 से वादी के पूर्वजों का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने की तिथि से वादी अपना कब्जा काश्त निरन्तर प्रमाणित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त भी जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 04–02–1998 से विवादित आराजी नगर सुधार न्यास, जोधपुर के नाम आरक्षित की जा चुकी है, जिसे वादी द्वारा अपने वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से निरस्त किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र वादी प्रत्यर्थी को कथनों पर अधिक बल प्रदान करते हुए अपील को स्वीकार कर वादी प्रत्यर्थी का विवादित आराजी पर सम्वत् 2000 से कब्जा काश्त मानने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–06–2005 के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 21–06–2005 को अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल मात्र नौ दिवस में उभयपक्ष की बहस सुनकर स्वीकार किया जाना भी सन्देह उत्पन्न करता है। प्रस्तुत प्रकरण में जब वादी का कब्जा काश्त सम्वत् 2000 से किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है तो केवल मात्र मौखिक साक्ष्य व अभिकथनों के आधार पर वादी को सम्वत् 2000 से विवादित आराजी काबिज काश्त माना जाना विधिक

रूप से त्रुटिपूर्ण है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. परिणामतः अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 30-06-2005 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-06-2005 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य